# लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
नई दिल्ली

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च 2010 के संलग्न तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है जिसमें केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों को आबंटित कार्य के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों तथा केंद्रीय कार्यालय के विभागों की विवरणियां, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 726 शाखाओं तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई 172 अपरीक्षित शाखाओं की विवरणियों को भी शामिल किया गया है। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 2.47 प्रतिशत, जमा राशियों का 6.77 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 2.28 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए ब्याज व्ययों का 7.22 प्रतिशत हिस्सा बनता है। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। इन वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है।

हमने अपना लेखा परीक्षण भारतवर्ष में सामान्यतः प्रचलित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरुप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है। लेखा परीक्षण में प्रयोगात्मक आधार पर जांच की गई है कि वित्तीय विवरणियों में दी गई तथा राशियों संबंधी साक्ष्य, सूचनाएं सही हैं। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण शामिल रहता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार है।

उपरोक्त परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम निम्नानुसार प्रतिवेदन करते हैं:

I तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए फार्म क्रमश: "क" तथा "ख" में तैयार किए गए हैं।

II हमारे अभिमत के अतिरिक्त, निम्न की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है -
क) नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषों/ निकासी पहचान/ समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

ख) नोट संख्या 10.6.5 अपीलों में लंबित विवादित कर-देयताओं के संबंध में है जिसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

ग) नोट सं. 10.6.3 जो कि रू. 171.59 करोड़ की आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल) जिसमें विगत् वर्ष तक के रू. 101.43 करोड़ सम्मिलित है, को सृजित न करने के संबंध में है जिसमें लेखा बहियों के अनुसार, समय के अंतराल के कारण, निवेश मूल्य में अंतर और आयकर अभिकलन में स्थाई अंतर होने के कारण तथा नोट सं. 10.6.2 जो कि रू. 3.63 करोड़ की आस्थगित कर देयता (डीटीएल) को सृजित न करने और वर्तमान रू. 3.26 करोड़ की डीटीएल निधि को आहरित करने के कारण जो कि धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत् बनाई तथा सुरक्षित रखी गई विशेष आरक्षितियां तथा प्रबंधन द्वारा उसको आहरित न करने के निर्णय के अनुसार।

III बैंक की पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में सूचित किया गया है, खातों पर टिप्पणियां, लेखा नीतियों और उपर पैरा- II पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरुप हैं।

हम यह सूचित करते हैं कि -

क) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमें दिखाई गई बैंक की बहियों के आधार पर तथा उपरोक्त पैरा-II एवं III में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन है-

i) प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्व तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित हैं तथा इसे उचित ढ़ंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च 2010 के मामलों का उचित उल्लेख है।

ii) लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियों तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है।

iii) नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2010 तक के वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

ख) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, सभी सूचनाएं हमने प्राप्त की हैं और हमने इन्हें संतोषजनक पाया है।

ग) बैंक के ऐसे सभी लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।

घ) बैंक के कार्यालयों शाखाओ से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण कार्य हेतु उपयुक्त पाया गया है। केवल कुछ ही शाखाओं के मामले में, जिनके ब्यौरे पर्याप्त नहीं थे, उनके संदर्भ में आंचलिक कार्यालयों, प्रधान कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास किया गया है।

| | |
|---|---|
| कृते एस लाल एण्ड कं | कृते बंसल सिन्हा एण्ड कं |
| सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार |
| (रजत अग्रवाल) | (निशांत चौधरी) |
| साझेदार | साझेदार |
| एम.न. 87130 | एम.न. 513802 |
| कृते बलराम चंद्रा एण्ड एसोसिएट्स | कृते भाटिया एण्ड भाटिया |
| सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार |
| (बलराम चंद्रा) | (आर.भाटिया) |
| साझेदार | साझेदार |
| एम.न. 070875 | एम.न. 17572 |

कृते अलका एण्ड सुनील
सनदी लेखाकार

(सुनील गुप्ता)
साझेदार
एम.न. 084119

दिनांक- 23 अप्रैल, 2010
स्थान- नई दिल्ली